

सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई, देहरादून
कृषक पंजीकरण

1. कृषक विवरण (पत्राचार हेतु)

नाम.....पिता/पति का नाम श्री.....

ग्राम..... पो०..... विकासखण्ड.....

जनपद..... दूरभाष.....

कृपया नवीनतम फोटो
चिपकायें।

2. स्थान का विवरण जहां पर खेती की जा रही है

3. कृषिकरण/नरसरी स्थापना/नवीनीकरण का विवरण (नवीनीकरण की दशा में पूर्व पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करें।)

फसल एवं प्रजाति का नाम	पौध संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (हे०)	रोपण माह	कटाई का माह एवं वर्ष	अनु०उपज (किग्रा)	पौध प्राप्ति का स्रोत (स्वयं/निःशुल्क)

4. प्रयुक्त भूमि का विवरण

भू-स्वामी का विवरण (√)	खसरा संख्या*/ क्षेत्रफल(हे०)	भूमि की ऊचाई (मी०)	सिंचित/ असिंचित	वन रेंज का नाम
स्वयं/सहखातेदार (हिस्सा प्रमाण पत्र) /वैज्ञानिक उत्तराधिकारी/लीज				

*अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करनी अनिवार्य हैं।

5. यदि पूर्व में पंजीकरण हो चुका है तो उसका विवरण:

6. तकनीकी/सहयोगी संस्था का नाम व पता

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा सगन्ध कृषिकरण से सम्बंधित दर्शायी गयी उपरोक्त सूचनायें सही हैं। जिसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है तथा फसल उत्पाद में वन क्षेत्र अथवा अन्य किसी भी स्थान से एकत्रित किये गये उत्पाद को सम्मिलित नहीं करुंगा।

कृषक के हस्ताक्षर

उक्त कृषक द्वारा पंजीकरण प्रपत्र में दर्शायी गई सूचनाओं का सत्यापन कर लिया गया है। कृषक को कृषिकरण हेतु समय-समय पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा आवश्यकतानुसार समुचित तकनीकी सहायता प्रदान की जायेगी।

कार्यालय द्वारा भरा जायेगा
पंजीकरण संख्या.....
पंजीकरण तिथि
पंजीकरण वैधता की तिथि

तकनीकी/सहयोगी संस्था के सत्यापनकर्ता का नाम, पदनाम सहित हस्ताक्षर

वैज्ञानिक-प्रभारी
सगन्ध पौधा केन्द्र,सेलाकुई,
देहरादून

कार्यालय, सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) सेलाकुई, देहरादून।

पत्रांक/पंजीकरण /कैप/

सेलाकुई दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री/श्रीमतीग्राम पो० जिला

2. तकनीकी/सहयोगी संस्था

3. प्रभागीय वनाधिकारी,जनपद.....उत्तराखण्ड।

4. खण्ड विकास अधिकारी, विकासखण्ड..... जनपद.....

वैज्ञानिक-प्रभारी
सगन्ध पौधा केन्द्र,सेलाकुई,
देहरादून

पंजीकरण हेतु आवश्यक निर्देश:

- उत्तराखण्ड के कृषक जो सगन्ध फसलों का कृषिकरण/नरसरी स्थापना का कार्य कर रहे हैं, पंजीकरण के पात्र होंगे।
- सहयोगी संस्था द्वारा कृषक को कृषिकरण/नरसरी स्थापना हेतु समय-समय पर प्रोत्साहन देने सम्बन्धी अभिलेखों का रिकार्ड रखा जायेगा।
- पंजीकरण हेतु भू अभिलेख (स्वयं/सहखातेदार (हिस्सा प्रमाण पत्र)/वैज्ञानिक उत्तराधिकारी/लीज) प्रस्तुत करने होंगे।
- पंजीकरण जनपदीय जिला भेषज समन्वयक, वन विभाग, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, वन विकास निगम, कुमाँयू एवं गढवाल मण्डल विकास निगम एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकता है।
- नाप भूमि पर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सगन्ध फसलों का पंजीकरण कैप द्वारा कराया जा सकता है, किन्तु उनका विदोहन वन विभाग के निरीक्षण उपरान्त ही किया जायेगा।
- सगन्ध फसलों का कृषिकरण/नरसरी स्थापना का निरीक्षण कभी भी कैप द्वारा किया जा सकता है, कृषिकरण/नरसरी स्थापना का कार्य प्रमाणित न होने की स्थिति में पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
- कृषक द्वारा यदि सगन्ध फसल उत्पाद के साथ वन सम्पदा का अवैध विदोहन किया जाता है तो पंजीकरण निरस्त कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

वैज्ञानिक-प्रभारी
सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई,
देहरादून